न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 113 / 2021

उनवान

कालू राम पिता नाना मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– रामपाल पिता बरदा मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
2– मोहनी पत्नी देवा मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
3– बद्री पिता नाना मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
4– शंकर पिता सूरजमल मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5– गीलू पिता नाना मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
6– श्रवण पिता सोनाथ गाडरी निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री संजय सिंह हाडा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12 / 07 / 2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम **कल्याणपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 2528 रकबा 0.06 है0, 2556 रकबा 0.07 है0, 594 / 2510 रकबा 0.33 है0, 598 / 2513 रकबा 0.40 है0, 602 / 2530 रकबा 0.17 है0, 604 / 2553 रकबा 0.01 है0, 607 / 2559 रकबा 0.25 है0, 612 / 2529 रकबा 0.16 है0, 519 / 2554 रकबा 0.03 है0, 620 / 2557 रकबा 0.15 है0** कुल किता **10** रकबा **1.63** हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं 6** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कल्याणपुरा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का **प्रार्थी खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कल्याणपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता **10 रकबा 1.63 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1500 /– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12 / 07 / 2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.